

प्रेस नोट दिनांक-17-01-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 17/01/2021 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र नई किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 17/01/2021 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । जिसमें कुल 05 पत्रावलियां विचारार्थ प्रस्तुत हुई तथा सभी पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए । परामर्श के बाद 02 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ । परामर्श के मुख्य परामर्शदाता, श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव एवं श्री समसुलहक का सराहनीय योगदान रहा । निस्तारण में श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना, महिला मुख्य आरक्षी सरोज माला, महिला आरक्षी सविता सिंह, महिला आरक्षी अंबिका, महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी, महिला आरक्षी नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

1. ममता देवी पत्नी अखिलेश निवासी बहादुरपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. सविता खातून पत्नी अब्दुल अरमान निवासी नगला थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक-17-01-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना खेसरहा का वार्षिक मुआयना कर प्रभारी निरीक्षक खेसरहा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

आज दिनांक 17.01.2021 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी द्वारा थाना खेसरहा का वार्षिक निरीक्षण किया गया, सर्वप्रथम महोदय द्वारा मालखाना, शस्त्रागार, लॉकअप, मेस, थाना कार्यालय, बैरिक एवं शौचालय तथा स्नानागार का निरीक्षण कर साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, थाने के विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण गहनता से किया गया, सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर, भूमि-भवन रजिस्टर एवं मालखाना रजिस्टर 2020 का भी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया । थाना परिसर की साफ-सफाई का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान परिसर में कई जगह गंदगी पाये जाने पर महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक को साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया । थाना परिसर में खड़े लावारिस वाहनों के नीलामी के सम्बन्ध में पूर्व में भी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया । आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को चुनाव आयोग से निर्गत समस्त आदेश-निर्देश को गार्ड फाइल में सुरक्षित रखने एवं चुनाव से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुये समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये एवं आईजीआरएस सन्दर्भों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश भी दिये गये । महोदय द्वारा वाहन चोरी, लूट, नकबजनी, चोरी, महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़/अपराध की घटनाओं पर रोकथाम एवं ठण्ड व कुहरे आदि में सघन चेकिंग हेतु नियमित एवं रूटीन पैदल गश्त, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग, संदिग्ध आदि की चेकिंग प्रभावी तरीके से अपने-अपने थानाक्षेत्र में कराने एवं समय-समय पर चेकिंग करते रहने हेतु निर्देशित किया गया । महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक / निरीक्षक व समस्त उप-निरीक्षकगण को अपने-अपने कुशल पर्यवेक्षण में पूर्णनिष्ठा एवं निष्पक्ष रूप से कार्यवाही कराते हुये बेहतर परिणाम उपलब्ध कराने हेतु कहा गया । वार्षिक निरीक्षण के पश्चात् महोदय द्वारा ठण्ड से बचाव हेतु ग्राम प्रहरियों में कंबल वितरण भी किया गया । उक्त निरीक्षण के दौरान श्री विजय कुमार दूबे, वाचक पुलिस अधीक्षक प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सिंह तथा थाना खेसरहा में नियुक्त समस्त निरीक्षक/उ0नि0 व पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

03

प्रेस नोट दिनांक-17-01-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना कोतवाली बांसी पुलिस ने घर में चोरी करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री रमेश साहनी मय टीम के द्वारा दिनांक 16.01.2021 की रात को ग्राम सेखुई में श्री महंगी लाल पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम सेखुई थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के घर में चोरी करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 09/2021 धारा 380/511 भादवि० पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सोनू उर्फ अली अहमद पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम सेखुई थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण

01. उपनिरीक्षक श्री रमेश साहनी थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. मुख्य आरक्षी संतोष कुमार थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. आरक्षी बिन्दु कुमार थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

04

प्रेस नोट दिनांक-17-01-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 17-01-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 314 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 116 वाहनों का चालान कर ₹ 90,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।